भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 93

(जिसका उत्तर सोमवार, 2 दिसम्बर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।)

"माल और सेवा कर की दर में कमी और उसे तर्कसंगत बनाना"

93. श्री टी. एम. सेल्वागणपति:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माल और सेवा कर की औसत दर जो 2017 में 15.3 प्रतिशत थी, घटकर 2023 में 12.2 प्रतिशत हो गई है;

(ख) क्या सभी उपभोक्ता वस्तुओं में से लगभग 60 प्रतिशत पर 5 प्रतिशत या उससे कम की जीएसटी दर लगती है, जबकि 3 प्रतिशत से कम उपभोग वस्तुएं 28 प्रतिशत ब्रैकेट में हैं;

(ग) क्या जीएसटी परिषद ने मंत्रियों का एक समूह बनाया है जो जीएसटी की दर में कमी करने और उसे तर्कसंगत बनाने के संबंध में कार्य कर रहा है;

(घ) क्या राज्यों को जीएसटी हिस्सेदारी से उत्पन्न वस्तु एवं सेवा कर आदि पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य असहज स्थिति विद्यमान है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

''माल और सेवा कर की दर में कमी और उसे तर्कसंगत बनाना'' के बारे में दिनांक 2 दिसम्बर, 2024 को उत्तरार्थ श्री टी. एम. सेल्वागणपति द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 93 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) : जीएसटी के तहत संभावित कर दरों पर डॉ. अरविंद सुब्रहमण्यन की अध्यक्षता वाली समिति का विचार था कि राजस्व तटस्थ दर 15% से 15.15% के बीच होनी चाहिए। माल और सेवा कर नेटवर्क के पास उपलब्ध जीएसटी रिटर्न के वर्तमान आंकड़ों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए औसत जीएसटी दर 11.64% है।

(ख) : मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई डेटा नहीं रखा जाता है। हालांकि, 15 जून, 2024 को इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में प्रकाशित एक लेख में उल्लेख किया गया है कि औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (एमपीसीई) का 57.6% (लगभग 60%) या तो छूट प्राप्त है या कम कर दर (5% जीएसटी तक) लगती है और औसत एमपीसीई का केवल 2.3% 28% जीएसटी दर पर है।

(ग) : 17 सितंबर, 2021 को आयोजित अपनी 45वीं बैठक में जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, दर युक्तिकरण संबंधी मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है।

(घ) : जीएसटी पर केंद्र और राज्यों के बीच कोई कड़वाहट नहीं है। जीएसटी कानून के अतंर्गत राज्यों को जीएसटी हिस्सेदारी नियमित आधार पर तय की जाती है।

(ङ) उपरोक्त (घ) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

*****